कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार वन मण्डल माण्डव रोड धार (म.प्र.) 454001

Phon 07292-222250, Email - dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2025 / 418 o

धार, दिनांक 1 ८/05 / 2025

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) चतुर्थ, पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वड़ोदरा

विषय :- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा—उदयपुर—धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हे0 वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हे0 वनभूमि कुल 244.039 हे0 वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे0) पश्चिम रेल्वे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MPRAIL/154962/2022)

संदर्भ :- 01 भारत सरकार, पर्यावण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली का पत्र दिनांक 07-05-2025

02 आपका पत्र क. / एफ-5 / 1259 / 2023 / 10-11 / 1448 दिनांक 14.05.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे। संदर्भित पत्र अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रकरण के संबंध में 04 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। (प्रति संलग्न)

बिन्दु क्रमांक 04 अनुसार आपके द्वारा वन मण्डल धार अंतर्गत रेलवे लाईन के निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 237.385 है0 वनभूमि ईको क्लास—3, खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम) अंतर्गत आती है।

आपके द्वारा पूर्व में वन मण्डल धार अंतर्गत प्रभावित वनभूमि रकबा 237.385 हैं0 के एवज में एन.पी.व्ही. की राशि 9,57,780 प्रति हे0 अनुसार राशि रूपयें 22,73,62,605/— ऑनलाइन कैम्पा मद में जमा की गई है।

संदर्भित पत्र अनुसार प्रभावित वनभूमि हेतु एन.पी.व्ही. की राशि 12,28,590 / — प्रति हे0 अनुसार राशि रूपये 29,16,48,837.15 / — आपके द्वारा जमा की जानी थी। चूंकि आपके द्वारा पूर्व में राशि रूपये 22,73,62,605 / — ऑनलाइन कैम्पा मद में जमा की गई है। इस हेतु शेष राशि रूपये 6,42,86,232 / — ऑनलाइन कैम्पा मद में जमा करे एवं बिन्दु कमांक 01 से 04 की जानकारी मय जमा राशि के चालान के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करे। संलग्न उपरोक्तानुसार

पुर्वक्रमांक / मा.चि. / 2025 / 41 81

धार, दिनांक 16/05/2025

वन मण्डल अधिकारी,

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षे०) इन्दौर वृत्त इन्दौर की सूचनार्थ संप्रेषित।

3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी,

FCA 1980 PROPOSAL

pege.... 504

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ – 5 / 1259 / 2023 / 10 – 11 / 1448 भोपाल, दिनांक 14 - 25 – 25 प्रति.

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।

विषय:— धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर—धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237. 385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेल्वे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/ 154962/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 07.05.2025

----0----उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, संदर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार नई दिल्ली ने प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के चाहे अनुसार अपने—अपने वन मण्डल से संबंधित जानकारी पूर्ण कराकर प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल भोपाल, दिनांक 14-०5-25

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1259 / 2023 / 10-11 / 1449 प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम रेल्वे, बड़ोदरा की ओर भेजकर लेख है कि भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी में आपसे संबंधित बिन्दु की जानकारी तैयार कर वन मण्डल अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वर्न संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,

Aliganj, Jor Bag Road, New Delhi - 110003.

Dated: 07-05-2025

To,

The Principal Secretary (Forests), Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

Sub: Diversion of 244.039 ha (237.385 ha Dhar & 6.654 ha Alirajpur Forest Division) Reserved Forest land for construction of Chhotaudepur to Dhar New Broad Gauge Railway line in favour of Dy. Chief Engineer (Construction-II) Western Railway in Dhar & Alirajpur Districts of Madhya Pradesh (Online No. FP/MP/RAIL/154962/2022) -reg.

Madam/Sir.

I am directed to refer to the Government of Madhya Pradesh's letter no. F-5/1259/2023/10-11/1314 dated 28.04.2025 on above subject submitting information in response to the observation made by Ministry vide letter dated 18.03.2025 and to say that after examination of the said compliance report the following shortcomings has been observed:

- i. In compliance of condition no. (ii), the State Government has informed that the density of the forest area of 6.654 ha alleged to be under violation is 0.4/less than 0.4. However, as per details available in online Part-II, the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, the State Government in its forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 4,08,75,189 against Penal NPV. However the user agency has deposited Rs. 2,15,50,050 against Penal NPV. The user agency therefore needs to deposit the balance amount of Rs. 1,93,25,139 online in CAMPA account.
- ii. In compliance of condition no. (iii), the State Government has not initiated action under section 3A and /or 3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provisions of the said Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation. The documentary evidence that the area was not recorded as forest in the revenue record has not been submitted. Justification or reply from the concerned authorities is also not enclosed.
- iii. In compliance of condition no.(v), the State Government has not submitted the detailed Animal Passage and mitigation plan along with financial provisions.

to COI

iv. In compliance of condition no.(viii), it is to mention that as per details available in online Part-II the proposed area for diversion is having density 0.4 and Eco-Class III. Moreover, State Government in forwarding letter dated 27.04.2023 has also reported canopy density of the proposed area for diversion is 0.4 with Eco-Class III. The density of 0.4 pertains to MDF. In this regard, the NPV rates for the same is Rs. 12,28,590 per ha as per revised rates. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 29,98,23,875 against NPV. However the user agency needs to deposit Rs. 23,37,35,673 against NPV. Therefore the user agency needs to deposit the balance amount of Rs. 6,60,88,202 online in CAMPA account.

In view of above, the State Government is requested to submit information as indicated above, for further consideration of the proposal in the Ministry.

Yours faithfully,

Digitally signed by Suneet Bhardwaj Date: 07-05-2025 23:00:28

Sd/-(Suneet Bhardwaj) Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

- 1. The PCCF -cum-HoFF, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
- 2. The Dy. DGF (Central), Regional Office, MoEF&CC, Bhopal;
- 3. The Nodal Officer (FCA), Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
- 4. User Agency;
- 5. Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF&CC, New Delhi.

arty lives

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, अलीराजपुर वनमण्डल (अलीराजपुर म०प्र०)

फारेस्ट केम्पस, खण्डवा वडीदा रोड़, अलीराजपुर-457887

Tel & Fax No. 07394-234530

E-mail : dfot.alp@mp.goy.in

क्रमाक / मा.चि. / 2025 / 2550 प्रति.

, अलीराजपुर दिनांक : 27-05-25

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर

वडोदरा, गुजरात

धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण छेतु अलीराजपुर यम विषय:-मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वनमण्डल की 237.385 हेक्टेयर यनभूमि पुछ 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हेक्टेयर) पश्चिम रेलये बड़ोबरा, को छपयौँग पर देन यावत। (FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदंर्भ :--

1) भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 07.05.2025 |

भोपास गयन, भू—प्रयंध), वन संरक्षक (कक्ष मुख्य क्रमांक / एफ-5 / 1259 / 2023 / 10-11 / 1448 दिनांक 14.05.2025 |

3) कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2460 दिनांक 20.05.2025 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे कि संदर्भित पत्रानुसार भारत सरकार द्वारा प्रकरण के संबंध में 04 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है।

बिन्दु क्रमांक-1 के अनुसार प्रभावित वनभूमि 6.654 हेक्टेयर में से 4.50 हेक्टेयर पर अवैध निर्माण के संबंध में छापकी 12,28,590 / - की दर से 2,76,43,275 / - राशि जमा की जाना थी किन्तु आपके द्वारा 2,15,50,050 / - राशि कैम्या मद में जमा की गई है शेष राशि 60,93,225 /— राशि कैम्पा मद में जमा करें।

बिन्दु क्रमांक-4 के अनुसार प्रभावित वनभूमि 6.654 हेक्टेयर की नेट प्रेजेन्ट वैल्यु की शेष रही राशि नई दर 12,22,590/-के अनुसार 18,01,970 / - ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा चालान की प्रति सहित संदर्भित पत्र से चार्टी गईं 🕊 बिन्दु 🕏

जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

वनमण्डल अलीराज्यूर

पृष्ठ क्रमाक / मा.चि. / 2025 / 🛂 🕤 🔾 प्रतिलिपी:-

अलीराजपुर दिनांक : 27-05-25

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. वन संरक्षक इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनगण्यल अलीराजपुर

177 letter 20125 Ans